

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडी)

हेमकंठर पति सोहन सिंह राजपूत नि. भीलवाडी

बनाम

समस्त रूप पिता हरनाथ जाट नि. भीलवाडी वगैरा

किरम मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 671/2022

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

अदालत का मुकदमा नं. 671/2022
तारीख 22.06.22

22.06.22

प्रार्थना पत्र रिपोर्टों से बाद जीव रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभावक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम भीलवाडी प. ह. टीटोडा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. नं. 191, 4/1, 474/1, 484/2, 485/1, 492/1, 504, 508/1, 516/1, 519/2 कुल भिजा 11 रकबा 3.1484 हैक्टैयर स्थित है। उक्त भूमि कृषि आरम्भ के पक्षशी अप्राथीगण है। अप्राथीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आरम्भ की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभावक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमावन्दी संख्या 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवंटन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्राथीगण के साथ सीमा विवाद होने बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जायान उचित समझता है।

अतः प्रार्थना पत्र 111/128 राते रे एक्ट रसीद पर विज्ञान जात है तथा भूमि ग्राम भीलवाडी प. ह. टीटोडा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. नं. 191, 4/1, 474/1, 484/2, 485/1, 492/1, 504, 508/1, 516/1, 519/2 कुल भिजा 11 रकबा 3.1484 हैक्टैयर की पक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी करवाये हेतु भूमि अभिलेख निश्चिक बावडी को कमिश्नर नियुक्त किया जात है। कमिश्नर कीरा 1500- रु. तथा किये जाते है। जो प्रार्थी भौक पर अदा करेगा। उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा कराने। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।
आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को सुते न्यायालय में सुनाया गया।

D.

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडी)